न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 56 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 208

1. शान्ति देवी पत्नी रामकुमार शर्मा निवासी वार्ड नं. 35 अनूपगढ़

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान नहीं करने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 840 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदन पत्र खारिज कर अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी है। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 14.05.2024 को प्रार्थना पत्र संजय आदि के विरूद्ध धारा 107, 116, 151 सीआरपीसी में कार्यवाही करने पर की गयी कार्यवाही की सूचना प्रमाणित प्रति की अपेक्षा की गयी थी, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत पत्रांक आरटीआई / 2024 / 562 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा वांछित सूचना से संबंधित पूर्ण विवरण यथा प्रकरण संख्या, निर्णय दिनांक, पूर्ण अनवान आदि नहीं देने के कारण पत्रावली की तालाश संभव नहीं होने से आवेदन पर अस्वीकार करते हुए पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने अथवा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर रिकार्ड की जमा सूचियों का अवलोकन कर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक से वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टियां अंकित किया जाना अपेक्षित हैं। लोक सूचना अधिकारी से सूचना जिस स्वरूप में उपलब्ध हो उसी स्वरूप में प्रदान किया जाना अपेक्षित है तथा कार्यालय संसाधनों को प्रभावित करते हुए सूचना की तालाश कर अथवा तथ्यों में से सूचना को खोजकर आवेदक को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं हैं। चूंकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)